न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– मूलचन्द आर.ए.एस

अपील संख्या 2018/00191 (93/2018) 225 आरटीएक्ट

बलजीतसिंह पुत्र बन्तासिंह पुत्र भान सिंह, जाति कम्बोज सिख साकिन चक 24 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। –अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. बन्तासिह पुत्र भान सिंह } जाति कंम्बोज सिख साकिन चक 24 पीबीएन हाल
2. जरनैलसिह पुत्र बन्तासिंह } रावतसर, तह. रावतसर, जिला हनुमानगढ
3. स्टेट जरिये तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। –– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.02.2018 द्वारा सहायक कलक्टर पीलीबंगा

प्र0 संख्या 73/2017 बअनवानी बलजीतसिंह बनाम बन्तासिंह आदि

श्री राजेश दीपराय व श्री करणीसिंह, अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशप्रीतसिंह संधू रेस्पोडेण्ट संख्या 1

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 3

निर्णय दिनांक –11.07.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/प्रार्थी ने सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कातश्कारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में यह कथन किया कि चक 24 पीबीएन के प. नं. 22/332 किला नं 1 ता 10 की 2.366 है. भूमि प्रार्थी के दादा की गैर खातेदारी दर्ज थी। उनके फौत होने पर वारीसान के नाम से रिकार्ड में अंकित हो गई। इसकी किश्तें जमा करवाई जा चुकी हैं। खातेदारी सनद दी जानी शेष है। अप्रार्थी संख्या 2 जो कि अप्रार्थी संख्या 1 के साथ ही रहता है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज तमाम 1/3 हिस्सा को विक्रय करवाकर राशि हड़पना चाहता है इसलिए अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे अप्रार्थी संख्या 1 बंतासिंह उक्त वर्णित भूमि के 1/3 हिस्सा रहन बैय मुन्तकिल नहीं करें। अधीनस्थ न्यायायल ने अपीलाधीन निर्णय से आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया है जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में बहस कर कथन किया कि अपीलाण्ट ने दावा उद्घोषणा का प्रस्तुत कर उसमें अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र प्रस्तुंत किया था। भागसिंह को भूमि आवंटित थी। जो गैर खातेदारी दर्ज थी। उसकी मृत्यु

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर उसके तीनों पुत्रों को भूमि आवंटित हुई। अपीलाण्ट बन्तासिंह का पुत्र है। भूमि भानसिह से विरासत में बन्तासिंह को प्राप्त हुई है। धारा 15 एएए आरटीएक्ट के तहत भूमि आवंटित की गई है। रेस्पोडेण्ट द्वारा भूमि का बेचान नहीं करने का अंकन जवाब में अंकित किया है। इसलिए रहन बैय का स्थगन जारी किया जाना चाहिए था। आवंटन कभी भी खारिज नहीं हुआ था। मानसिह के समय से कब्जा था इसलिए तीनों पुत्रों को संयुक्त रूप से आवंटित किया गया। अगर भूमि आराजी राज दर्ज होती तो तीनों पुत्रों को अलग अलग आवंटन होता। हिन्दू परिवार की संयुक्त सम्पत्ति के संबंध में एवं घोषणा के वाद में खातेदारान को भी रहन बैय मुन्तकिल ना किये जाने हेतु पाबन्द किया जा सकता है। इसलिए अपील स्वीकार किये जाने का कथन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने बहस कर कथन किया कि अपीलाण्ट ने प्रश्नगत भूमि के पैतृक होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलाण्ट बन्तासिह का पुत्र है और भूमि बन्तासिह को आवंटित है। पूर्व में भूमि भानसिह को आवंटित हुई थी किन्तु किश्तें जमा नहीं होने के कारण आराजीराज दर्ज हुई और बाद में भानसिंह के तीनों पुत्रों के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवंटित हुई। आवंटन की सम्पूर्ण राशि बन्तासिह एवं उसके भाईयों ने अदा की । बन्तासिंह स्वंअर्जित भूमि का खातेदार है जिसे कानूनन पाबन्द नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में रेस्पोडेण्ट ने 2016 डीएनजे पेज 230, 2015 आरआरटी पेज 560, पेज 182 व पेज 633 एवं 2016 आरआरटी पेज 1323 व 2013 आरआरटी पेज 1108 व 2017 आरआरटी पेज 360 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये एवं अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत होने से अपील खारिज किये जाने का कथन किया।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट ने प्रश्नगत भूमि भानसिह को आवंटित होने एवं भानसिह की मृत्यु के बाद उसके तीनों पुत्रों बन्तासिह, अमरसिंह एवं ज्ञानसिंह के नाम से आवंटित होने का कथन करते हुए प्रश्नगत भूमि पैतृक संम्पति होने के कारण अपीलाण्ट प्रार्थी का उसमें हक हिस्सा होने के कारण अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुंत कर दावा के निर्णित होने तक प्रश्नगत भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल न किये जाने हेतु अप्रार्थीगण रेस्पोडेण्ट को पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2038 से 41 में प्रश्नगत भूमि भानसिह वल्द वरयामसिंह गैर खातेदारी दर्ज है एवं आवंटन आदेश 969 दिनांक 29.08.2014 में बन्तासिह, अमरसिंह व ज्ञानसिह के नाम आवंटन आदेश जारी हुआ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। जमांबंदी संवत 2071 से 74 में कॉलम नं. 11 में जरिये नामान्तरण संख्या 456 बन्तासिंह, अमरसिंह व ज्ञान सिंह गैर खातेदारी दर्ज है। विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1, 2 रेस्पोडेण्ट के द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 5 में भी यह अंकित किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को किसी प्रकार से रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने पर आमादा नहीं है। उक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जबकि प्रश्नगत भूमि बाबत स्वत्व का निर्धारण बाद साक्ष्य परीक्षण के आधार पर दावा में अन्तिम रूप से होना है परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2038 से 41 के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रश्नगत भूमि भानसिह वल्द वरयामसिंह के नाम दर्ज होनी प्रतीत होती है। तत्पश्चात् भानसिह के फौत होने पर भूमि उनके तीन पुत्र जिसमें अपीलाण्ट का पिता बन्तासिह भी शामिल है के नाम आबंटित होने के कथन आये हैं। परन्तु प्रश्नगत भूमि आसजीराज दर्ज किस आधार पर हुई इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर दावा के अन्तिम निर्णय से पूर्व प्रश्नगत भूमि रहन बैय व अन्य तरीके से हस्तान्तरित होती है तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है एवं आइन्दा मुकदमेबाज़ी भी बढने की पूर्ण संभावना है। सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी अपीलाण्ट के पक्ष में है। अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य बनती है एवं अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है एवं आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विलेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2018 निरस्त किया जाता है एवं अप्रार्थीगण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे ताफैसला दावा तहसील पीलीबंगा के चक 24 पीबीएन के प. नं. 22/332 के किला नं. 1 ता 10 की 2.366 है. में बन्तासिह के 1/3 हिस्से की भूमि की यथास्थिति बनाये रखें एवं रहन बैय आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करें। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 11.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

11/7/19

(मूलचन्द आर.ए.एस.)

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official